संख्या-131/2025/46/22-2-2025-17(40)/2025

प्रेषक,

मदन मोहन
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल, निवासी- जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-705/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

-2 उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल जो जोगियापुर, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.1990 को बंदी ने अपने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436, 449, 201, 302/149 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.1997 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.08.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 06 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनान यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.1990 को बंदी ने अपने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम (बन्दी संख्या-42428) पुत्र नन्दलाल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदरा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-131/2025/46(1)/22-2-2025-17(40)/2025,तद्वदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-131/2025/46/22-2-2025-17(40)/2025

दिनांकः 19 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल जो जोगियापुर, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.1990 को बंदी ने अपने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436, 449, 201, 302/149 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.1997 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.08.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 06 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनान यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.06.1990 को बंदी ने अपने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक लाठी व बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण उर्फ केशवराम पुत्र श्री नन्दलाल को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।